COURT FEE INDIA TEN RUPEES — COURT FEE INDIA FIVE RUPEES

(179)

C.FPD15/-2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0 ग्वालियर

प्र. क्र. /05 पुनर्विलोकन

राजबिहारी सिंह पुत्र स्व0 बैजनाथ सिंह
निवासी ग्राम-भमरा, तहसील सिरमौर,
जिला-रीवा (म0 प्र0)........आवेदक

विरुद्ध

लवसिंह पुत्र स्व0 बैजनाथसिंह
निवासी-ग्राम भमरा, तहसील सिरमौर
जिला-रीवा (म0 प्र0) ......अनावेदक

18 MAR 2005

माननीय सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पुनरीक्षण क्र0 1418-I I/03 में पारित आदेश दिनांक 21-12-04 के विरुद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता । 1959 की धारा 51 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन आवेदन।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि-

1. यह कि, इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कुछ ऐसी प्रत्यक्षदर्शी त्रुटियां हैं जिनके कारण आदेश पुनर्विलोकन योग्य है।

2. यह कि, आवेदक द्वारा अपने लिखित तर्क में उल्लिखित आधार एवं तर्कों पर विचार एवं विनिश्चयना माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश में नहीं किया गया है इस कारण इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश पुनर्विलोकन योग्य है।

3. यह कि, आवेदक द्वारा लिखित तर्क में किये गये निवेदन का आदेश में न तो उल्लेख हो सका है और न ही उनका विनिश्चयन किया गया है यह अभिलेख से प्रत्यक्षदर्शी त्रुटि है, जिसके कारण आदेश पुनर्विलोकन योग्य है। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित न्याय दृष्टांत अवलोकनीय है-1981 आर. एन. 43 एवं 1973 आर.एन.188 .

क्र......2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 327–एक/05 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
27.7.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री सूरज सिंह लोधी उपस्थित । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों पर विचार किया गया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1418–तीन/03 में पारित आदेश दिनांक 21.12.04 के विरूद्व प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक रिव्यु 327–एक/05 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। 4– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1418–तीन/03 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 21.012.04 से किया जा चुका है। 5– रिव्यु प्रकरण कमांक रिव्यु 327–एक/05 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:– अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय	

जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब—अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स— कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई ठोस आधार नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राहय किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य